# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग
## ।। संकल्प ।।

**विषयः— बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (बुडको) एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क में BLOCK 'A' एवं BLOCK 'B' में निःशुल्क ध्यान केन्द्र के संचालन हेतु एकरारनामा की अवधि 10 (दस) वर्षों के लिए विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।**

बुद्ध स्मृति पार्क, पटना का निर्माण बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बुडको) द्वारा किया गया है। बुद्ध स्मृति पार्क, पटना का संचालन और रख—रखाव कार्य वर्त्तमान में बुडको द्वारा किया जा रहा है।

2. बुद्ध स्मृति पार्क, पटना के अन्तर्गत विपश्यना केंद्र का संचालन करने के लिए पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट, पता—नीलकंठ, ब्रह्मस्थान पथ, पटना—800014, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट है तथा विपश्यना अनुसंधान संस्थान, इगतपुरी, महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत है। यह ट्रस्ट बिना किसी नुकसान और लाभ के आधार पर संचालित होता है तथा इस संस्था द्वारा जनहित में निःशुल्क ध्यान केन्द्र एवं पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है।

3. बुद्ध स्मृति पार्क पटना में BLOCK 'A' एवं BLOCK 'B' में विपश्यना केंद्र का संचालन तथा जनहित में निःशुल्क ध्यान केन्द्र एवं पाठ्यक्रम के व्यवस्थित संचालन एवं रख—रखाव हेतु बुडको एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के लिए प्रथमतः पाँच वर्ष के लिए विभागीय संकल्प संख्या—2896 दिनांक—19.08.2020 द्वारा एकरारनामा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

4. एकरारनामा की अवधि दिनांक—23.09.2020 से अगले पाँच वर्षों के लिए थी, जो दिनांक—22.09.2025 को समाप्त हो गई है। अध्यक्ष, पटना विपश्यना केन्द्र द्वारा BLOCK 'A' एवं BLOCK 'B' को अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए एकरारनामा की अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क में विगत 05 (पाँच) वर्षो से निःशुल्क ध्यान केन्द्र का सफल संचालन किया गया है। जिससे आमजन को काफी

लाभ प्राप्त हुआ है। विपश्यना ध्यान के लाभों में मानसिक शांति, तनाव और चिंता में कमी, बेहतर एकाग्रता और फोकस, भावनात्मक स्थिरता, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, करुणा का विकास और मानसिक लचीलापन शामिल हैं।

**5. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार की ओर से बिहार शहरी अधारभूत संरचना विकास लिमिटेड (बुडको) एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच निम्नांकित शर्तों के अधीन आगामी 10 (दस) वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–**

(i) बुद्ध स्मृति पार्क, पटना में विपश्यना ध्यान केन्द्र एवं पाठयक्रम के संचालन के लिए पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट को अपेक्षित स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसका संचालन और रख–रखाव का व्यय पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा उक्त परिसर के स्थान का उपयोग विपश्यना ध्यान केंद्र को संचालित करने के लिए ही किया जायेगा। परिसर का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य या गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

(iii) पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट केंद्र के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए एक कार्यालय और एक बैठक हॉल स्थापित कर सकता है। ट्रस्ट फर्नीचर और सामग्रियों की व्यवस्था और रखरखाव करेगा।

(iv) पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट पाठ्यक्रम के लिए उनके पास आने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखेगा तथा उनके द्वारा किए गए निवेश और उनके कामकाज से संबंधित अन्य विवरण जो कानून के प्रावधानों, लेखा परीक्षा और आय के प्रावधानों (टैक्स अधिनियम या कोई अन्य कानून) के संधारण की जिम्मेदारी पूर्णतः ट्रस्ट की होगी।

(v) पाटलिपुत्र विपासना ट्रस्ट ध्यान केन्द्र में भाग लेने के लिए जाने वाले व्यक्तियों/लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।

(vi) बुडको या राज्य सरकार द्वारा उक्त परिसर का हर महीने एक निर्दिष्ट दिन/वार्षिक नियमित मरम्मत और रखरखाव किया जायेगा। साथ ही बुनियादी ढाँचे और उपयोगिताओं (बिजली और एयर कंडीशनिंग नेटवर्क और सिस्टम) के निरीक्षण

की व्यवस्था करेगा एवं आवश्यक जांचोपरांत दोष रहने पर मरम्मत की व्यवस्था करेगा। सम्पूर्ण परिसर के विद्युत विपत्र का भुगतान बुडको द्वारा किया जायेगा।

(vii) पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट पाठ्यक्रम संचालित करेगा और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होगाः–

(क) परंपरा के अनुसार विपश्यना ध्यान सिखाएंगे तथा ध्यानी विपश्यना छात्रों को 10 (दस) दिन या अधिक का आवासीय ध्यान पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करेंगे। इस तरह के आवासीय ध्यान पाठ्यक्रम प्राप्त दान से ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क संचालित किए जाएंगे।

(ख) धम्म हॉल (मेडिटेशन हॉल) में मेडिटेशन निर्देशों/प्रवचनों के उपकरण, रसोई के बर्तन, फर्नीचर, भोजन कक्ष, बेड, इलेक्ट्रिक इन्वर्टर, साउंड हेतु आवश्यक उपकरण, संचालन के लिए ऑडियो और वीडियो उपकरणों की खरीद और रखरखाव करेंगे।

(ग) अन्य उपयोगिताओं सहित उक्त परिसर के संचालन के लिए नियमित व्यय।

(घ) विपश्यना ध्यान केंद्र के लिए सभी शिक्षण सामग्री, यात्रा खर्च, मानदेय, धम्म कार्यकर्ताओं से संबंधित मानदेय और ट्रस्ट के कार्यालय कर्मचारियों के सभी शुल्क और खर्च, ट्रस्ट द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

(ड़) विपश्यना केंद्र में विपश्यना छात्रों के लिए सभी लॉजिंग और बोर्डिंग का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा।

(च) ट्रस्ट किचन से उत्पन्न कचरे को अलग संग्रह करेगा तथा बुडको या राज्य सरकार के निर्दिष्ट स्थान पर नगरपालिका/उपयुक्त अधिकारियों के माध्यम से लागू कानून के अनुसार उनके निपटान के लिए सहायता प्रदान करेगा।

(छ) ट्रस्ट पूरी लगन और ईमानदानी से आचरण के अनुसार उक्त परिसर में विपश्यना ध्यान केंद्र का संचालन करेंगे।

(viii) बुडको अथवा राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट को जिसके लिए परिसर प्रदान किया गया है. अगर ट्रस्ट उक्त गतिविधियों के निष्पादन में विफल रहता है, तो उस एकरारनामा अवधि के समाप्त होने से पहले इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लिखित में 03 (तीन) महीने का नोटिस देकर एकरारनामा समाप्त करना होगा।

(ix) बुडको अथवा राज्य सरकार बिना किसी कारण बताए किसी भी समय अनुदान / लाइसेंस को समाप्त कर सकती है और ट्रस्ट को समाप्ति के निर्णय पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(x) ट्रस्ट बुडको को लिखित रूप में 03 (तीन) महीने का नोटिस देने के बाद अनुदान / लाइसेंस की समाप्ति के लिए लिख सकता है।

(xi) बुडको अथवा राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी / प्रतिनिधि उक्त परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं कि ट्रस्ट इस उद्देश्य के लिए उक्त परिसर का उपयोग विपश्यना ध्यान केंद्र का संचालन हेतु कर रहा है, अगर उन्हें आवश्यक हो तो विपासना ध्यान केंद्र को निरीक्षण के समय जाँच अधिकारी के साथ सहयोग करना आवश्यक होगा।

(xii) इस समझौते के पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पटना स्थित न्यायालयों को इसका क्षेत्राधिकार होगा।

**6. अतः बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (बुडको) एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क में BLOCK 'A' एवं BLOCK 'B' में निःशुल्क ध्यान केन्द्र के संचालन हेतु एकरारनामा की अवधि 10 (दस) वर्षों के लिए विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।**

**7. उपर्युक्त कंडिका–06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–17.06.2026 की बैठक में मद सं0–07 में स्वीकृति दी गई है।**

**आदेश** :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

**ज्ञापांक**–03 / ना0सु0–22–27 / 2025 6525 / **न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक**– 25.6.26

**प्रतिलिपिः**– मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**(विनय कुमार)**
**सरकार के प्रधान सचिव।**

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–27/2025 6525/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/6/26

**प्रतिलिपि**:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–27/2025 6525/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/6/26

**प्रतिलिपि**:– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत/सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई० मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–27/2025 6525/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 25/6/26

**प्रतिलिपि**:– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–27/2025 6525/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 25/6/26

**प्रतिलिपि**:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु इसकी 500 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के प्रधान सचिव।